न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 25/2023

प्रार्थी –
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण –

1. राजेन्द्र प्रसाद कलवानिया पुत्र श्री कृष्ण लाल कलवानिया, निवासी 10 आदर्श नगर, लाल सागर, जोधपुर (मैसर्स किशनलाल जितेन्द्र कुमार, जे–20, कृषि उपज मण्डी, बाड़मेर का खाद्य अनुज्ञापत्रधारक)
2. राजेन्द्र प्रसाद कलवानिया प्रोप्राईटर ऑफ मैसर्स सुशील ट्रेडिंग क. 88 पुरानी धान मण्डी, श्री गंगानगर
3. विशाल गोयल डारेक्टर ऑफ मैसर्स नारायण एग्रो फूड्स लिमिटेड, फोकल पोईंट, फरीदाकोट रोड, कोटकपुरा।
4. सुभाष गोयल डारेक्टर ऑफ मैसर्स नारायण एग्रो फूड्स लिमिटेड, फोकल पोईंट, फरीदाकोट रोड, कोटकपुरा।

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अधिवक्ता श्री विष्णु चौधरी, अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 3 व 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक : **06.05.2026**

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान **मैसर्स किशनलाल जितेन्द्र कुमार, जे–20, कृषि उपज मण्डी, बाड़मेर** पर निरीक्षण दिनांक **17.01.2023** को खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड शक्ति** जो 15 किलो के टिन में भरा हुआ था, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार कुल 800 ग्राम वास्ते नमूना

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–1816** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड शक्ति** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड शक्ति** का नमूना **अवमानक (Substandard)** पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर प्रकट किया कि तथाकथित बरामद घी का निर्माण विप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा नहीं किया जाता है तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा उक्त घी विप्रार्थी संख्या 3 व 4 से पैकिंग टीन खरीद किया जाता है तथा पैकिंग टीन को आगे बेचान किया जाता है तथा विप्रार्थी संख्या 1 मात्र सेल्समेन है। अप्रार्थी संख्या 5 द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत कर प्रकट किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विप्रार्थीगण के यहां से किसी भी प्रकार के घी की सेम्पलिंग नहीं की गई थी और न ही विप्रार्थीगण के रूबरू उक्त सेम्पलिंग की कार्यवाही की गई। उपरोक्त पदों में जो मोतबिर बताये गये है वे मोतबिर खाद्य सुरक्षा अधिकारी के अधिनस्थ कर्मचारी के रूप में खाद्य निरीक्षक के रूप में कार्यरत है। ऐसी स्थिति में स्वतंत्र गवाहों के अभाव में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह उचित नहीं है। लिहाजा उक्त आधारों पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध उक्त प्रकरण खारिज फरमाया जाकर निस्तारित किया जावे।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **27.01.2023** में उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना **अवमानक (Substandard)** पाया गया। प्रयोगशाला जांच में **Test for foreign fat** का मानक स्तर **should be absent** की तुलना में **Foreign fat present** पाया गया है जो कि मानक स्तर का नहीं है। अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने लिखित जवाब प्रस्तुत

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

कर प्रकट किया कि तथाकथित बरामद घी का निर्माण विप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा नहीं किया जाता है तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा उक्त घी विप्रार्थी संख्या 3 व 4 से पैकिंग टीन खरीद किया जाता है तथा पैकिंग टीन को आगे बेचान किया जाता है तथा विप्रार्थी संख्या 1 मात्र सेल्समेन है। अप्रार्थी संख्या 5 द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत कर प्रकट किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विप्रार्थीगण के यहां से किसी भी प्रकार के घी की सेम्पलिंग नहीं की गई थी और न ही विप्रार्थीगण के रूबरू उक्त सेम्पलिंग की कार्यवाही की गई। उपरोक्त पदों में जो मोतबिर बताये गये है वे मोतबिर खाद्य सुरक्षा अधिकारी के अधिनस्थ कर्मचारी के रूप में खाद्य निरीक्षक के रूप में कार्यरत है। ऐसी स्थिति में स्वतंत्र गवाहों के अभाव में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह उचित नहीं है। लिहाजा उक्त आधारों पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध उक्त प्रकरण खारिज फरमाया जाकर निस्तारित किया जावे। इस प्रकार अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा खाद्य पदार्थ के नमूने के अवमानक पाये जाने के संबंध में कोई ठोस एवं तथ्यात्मक प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया है। उक्त उल्लेखित विधिक प्रावधान हस्तगत प्रकरण पर प्रयोज्य नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा उसके व्यवसाय में जिस खाद्य पदार्थ का विक्रय किया जा रहा था, उसकी गुणवत्ता व मानकता के प्रति उनके दायित्व से विमुक्ति का प्रयास किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से लिया गया खाद्य पदार्थ का नमूना **अवमानक** पाया गया है तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये विनियमों की सम्पूर्ण पालना किया जाना आवश्यक एवं बाध्यकारी है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी संख्या 01 एवं 02 पर संयुक्त रूप से **1,25,000/-**, अप्रार्थी संख्या 03 व 04 पर संयुक्त रूप से **रूपये 2,00,000/-** का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक **06.05.2026** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह चांदावत)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर